

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उत्तर प्रदेश,
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज,
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर,
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3

दिनांक: ०९ अक्टूबर, 2020

विषय:-त्योहारों के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रसार पर नियंत्रण के विषय में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी SOP/गाइडलाइन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगामी माह अक्टूबर 2020 से माह दिसम्बर 2020 तक का समय मुख्यतः त्योहारों यथा-नवरात्रि, दुर्गापूजा, दशहरा, बारावफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा एवं क्रिसमस आदि का समय है, जिसमें जगह-जगह प्रतिमा स्थापना, धार्मिक पूजा, मेला, प्रदर्शनी, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस, विर्सजन जैसी गतिविधियां संचालित होती है, जिनमें क्षेत्र विशेष में भारी जनसमूह के जुटने की संभावना रहती है। अतः ऐसे में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के दृष्टिगत केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी SOP/गाइडलाइन्स में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों को उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों के साथ तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए-

1- कार्यक्रम स्थल के विषय में

- (i) इन आयोजनों के लिये स्थल पूर्व में चिन्हित कर उसकी सीमा सुनिश्चित करते हुये, विस्तृत साइट प्लान तैयार कर लिया जाये, जिससे शारीरिक दूरी बनाये रखने, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजेशन के मानक के पालन में सुविधा होगी।
- (ii) कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर्स, थर्मल स्कैनिंग उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति तथा फर्श पर शारीरिक दूरी हेतु वृत्त (गोला) चिन्हांकन सुनिश्चित किया जाये। प्रवेश द्वार पर ही हैंड सेनेटाइजेशन तथा थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक होगा।
- (iii) कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों एवं आगन्तुकों के प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग एवं यथासंभव एक से अधिक रास्ते सुनिश्चित किए जाएंगे।
- (iv) केवल वही स्टाफ तथा दर्शक प्रवेश के लिए अनुमत्य होंगे जिसमें किसी प्रकार के कोविड के लक्षण नहीं होंगे। यदि किसी में कोविड लक्षण पाया जाता है तो उसे शिष्टता के साथ प्रवेश से मना किया जायेगा तथा चिकित्सीय उपचार लेने की सलाह दी जायेगी।
- (v) सभी स्टाफ तथा दर्शकों को फेस कवर/मास्क का उपयोग तथा कार्यक्रम स्थल के अन्दर एवं बाहर शारीरिक दूरी के मानक का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (vi) कार्यक्रम परिसर में आवश्यकतानुसार स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था रखी जाएगी जिसमें प्राथमिकता पर डिस्पोजल कप/गिलास का प्रयोग किया जायेगा।
- (vii) वातानुकूलन आदि के लिए सी०पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा जारी गाइड लाइन का अनुपालन किया जाएगा, जिसके अनुसार ए०सी० का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी रेन्ज 40-70 डिग्री के अन्तर्गत रखना होगा तथा cross ventilation की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- (viii) सामूहिक खान-पान/लंगर/अन्य दान आदि कार्यक्रमों में भोजन बनाने, वितरण एवं अवशेष वस्तुओं के डिस्पोजल आदि में शारीरिक दूरी के नियमों तथा स्वच्छता एवं हाईजीन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

- (ix) कार्यक्रम स्थल, विशेषकर बारंबार प्रयोग में आने वाले स्थलों (जैसे दरवाजे के हैंडिल, लिफ्ट के बटन, लाइन लगाने वाले बैरिकेट, सीट, बेंच वॉशरूम की टॉटी आदि) की नियमित रूप से सफाई एवं विसंक्रमण (एक प्रतिशत सोडियम हाइड्रो क्लोराइड का प्रयोग करते हुये) बारंबार किया जाएगा।
- (X) प्रयोग किए गए फेस कवर्स, मास्क को परिसर में उपलब्ध कवर्ड डस्टबीन में ही निस्तारित किया जायेगा।
- (xi) शारीरिक दूरी तथा मास्क पहनने के मानकों के अनुपालन के निगरानी हेतु क्लोज सर्किट कैमरा (CCTV) लगवाने पर भी विचार कर लिया जाये।
- (xii) ऐसी सभी कार्यक्रमों में चिकित्सकीय आधारभूत सुविधाओं के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थानों को निकटवर्ती हास्पिटल से मैपिंग करने की भी योजना बना ली जाये।

2- कार्यक्रम आयोजन के विषय में

- (i) कन्टेनमेन्ट जोन में किसी भी त्योहार विषयक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कन्टेनमेन्ट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी अथवा विजिटर्स को आयोजन में आने की अनुमति भी नहीं होगी।
- (ii) प्रत्येक गतिविधियों के संचालन (धार्मिक स्थल, रैली, विसर्जन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला आदि) की पूर्व योजना सभी सम्बन्धित संगठन/व्यक्तियों/संघों के साथ मिलकर तैयार कर ली जाये।
- (iii) शारीरिक दूरी के मानक तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रत्येक समय निरीक्षण किये जाने हेतु आयोजकों द्वारा यथोचित मैनपावर (मानव शक्ति) तैनात किये जाए।
- (iv) कार्यक्रम आयोजक द्वारा अपने स्टाफ हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक संसाधन यथा, फेस कवर्स, मास्क, हैंड सैनेटाइजर्स, साबुन, सोडियम हाइपोक्लोराइट्स आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (v) थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क सुनिश्चित करने हेतु वालंटियर्स की तैनाती की जाए।
- (vi) आयोजकों द्वारा यथासम्भव "स्पर्श रहित भुगतान" (Contact less payment) की व्यवस्था की जाए तथा कार्यक्रम स्थलों पर "क्या किया जाए" और "क्या न किया जाए" (Do's and dont's) का मार्ग निर्देश भी प्रदर्शित किया जाए।
- (vii) कार्यक्रम स्थल पर कोविड-19 से बचने के उपायों से सम्बन्धित पोस्टर्स/बैनर्स लगाये जायें तथा यथासम्भव ऑडियो/विजुअल प्रचार-प्रसार भी किया जाये।

3- कार्यक्रम आयोजक एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के विषय में

- (i) 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गम्भीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर सुरक्षित रहने की सलाह दी जाए। यह कार्यक्रम के आयोजकों/प्रबन्धकों व उनके कार्मिकों पर भी लागू होगा।
- (ii) सार्वजनिक स्थलों पर सभी व्यक्ति यथासंभव आपस में 06 फिट की दूरी बनाये रखें, फेसकवर/मास्क का प्रयोग अनिवार्यतः करें, साबुन से कम से कम 40 सेकेण्ड तक नियमित रूप से हाथ धोयें (यदि ये प्रथम दृष्टया गन्दे नहीं दिख रहें हों तब भी) तथा अल्कोहलयुक्त हैंड सैनिटाइजर्स का (न्यूनतम 20 सेकेण्ड तक) प्रयोग करें।
- (iii) संचरण मानकों का सख्ती से पालन करें। खांसते/छींकते समय मुंह व नाक पर टिशू पेपर/रूमाल/कोहनी का प्रयोग करें तथा प्रयुक्त टिशू पेपर का उचित डिस्पोजल भी करें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को सख्ती से प्रतिबन्धित किया जाये।
- (iv) किसी भी बीमार व्यक्ति की सूचना तथा स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी के विषय में सूचना यथाशीघ्र राज्य व जिला हेल्पलाइन पर सूचना दी जाये।
- (v) आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग सभी को करने की सलाह दी जाये।

4- कार्यक्रम के दौरान संदिग्ध/पॉजिटिव व्यक्ति पाये जाने की स्थिति में -

- (i) कार्यक्रम/प्रदर्शन/रैली आदि के दौरान किसी भी व्यक्ति के कोविड लक्षणयुक्त (Symptomatic) पाये जाने पर, जब तक उसे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती है, तब तक के लिये

- आइसोलेट (पृथक्वास) करने हेतु, प्रत्येक आयोजन स्थल पर एक पृथक् आइसोलेशन कक्ष/स्थल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये।
- (ii) संदिग्ध/बीमार व्यक्ति को उक्त आइसोलेशन कक्ष/स्थल पर, अन्य व्यक्तियों से अलग आइसोलेट किया जाए।
 - (iii) आइसोलेशन के दौरान व्यक्ति मास्क/फेस कवर सतत धारण किए रहेगा, जब तक की चिकित्सक द्वारा उसका परीक्षण न कर लिया जाए।
 - (iv) यदि उस व्यक्ति में कोविड के लक्षण दिखे अथवा स्वास्थ्य में और गिरावट आए तो निकटतम अस्पताल/क्लीनिक/स्वास्थ्य सेवा/जिला अथवा स्टेट हेल्पलाइन को सूचित किया जाए।
 - (v) संदिग्ध/बीमार व्यक्ति के सम्पर्क में आये लोगों की ट्रेसिंग एवं विसंक्रमण की कार्यवाही की जाएगी।
 - (vi) जहाँ पर पॉजिटिव व्यक्ति पाया जाएगा उस स्थल को भी विसंक्रमित किया जाएगा।

5- रैली, जुलूस/मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के संबंध में

- (i) मूर्तियों की स्थापना पारम्परिक परन्तु खाली स्थान पर की जाये, उनका आकार छोटा रखा जाये तथा मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें।
- (ii) चौराहों तथा सड़क पर कोई मूर्ति, ताजिया न रखी जायें, आवश्यकतानुसार बैकल्पिक व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन आयोजन समितियों से विचार-विमर्श कर कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही करें।
- (iii) मूर्तियों के विसर्जन में यथा सम्भव छोटे वाहनो का प्रयोग किया जाय। मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही सम्मिलित रहें।
- (iv) रैली/विसर्जन के लिये रूट प्लान, विसर्जन स्थलों का चिन्हांकन, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण, शारीरिक दूरी का पालन जैसे बिन्दुओं की पूर्व में ही योजना बना ली जाये तथा इसे दृढ़ता के साथ लागू किया जाये।
- (v) रैली/विसर्जन आदि के समय भीड़ निर्धारित सीमा से अधिक न हो तथा शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के मानकों का पालन अवश्य किया जाय। ऐसी रैलियों की संख्या तथा इसमें निहित दूरी का उचित प्रबन्धन किया जाये।
- (vi) ऐसी रैली या विसर्जन, जिसमें लम्बी दूरी निहित हो, उनमें एम्बुलेन्स की सेवायें भी प्राप्त की जायें।

6- सभी जिलों में प्रत्येक आयोजन स्थल पर सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार हेतु Public Address System का उपयोग किया जाय।

7- आगामी प्रमुख पर्व/त्यौहार निम्नवत हैं-

क्र०सं०	त्यौहार का नाम	मेला/त्यौहार का दिनांक
1.	शारदीय नवरात्रि शुभारम्भ	17.10.2020
2.	महाअष्टमी	23.10.2020
3.	महानवमी	24.10.2020
4.	विजय दशमी/दशहरा	25.10.2020
5.	बारावफात	30.10.2020
6.	वाल्मीकि जयन्ती	31.10.2020
7.	धनतेरस	12.11.2020
8.	छोटी दीपावली	13.11.2020
9.	बड़ी दीपावली	14.11.2020
10.	गोवर्धनपूजा	15.11.2020


11.	भैयादूज	16.11.2020
12.	छठपूजा	20.11.2020

8- रामलीला/दशहरा से सम्बन्धित सामूहिक गतिविधियाँ निम्न प्रतिबन्धों के अधीन होंगी :-

- (क) किसी भी बन्द स्थान, हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनीटाइजर एवं हैण्ड वाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।
- (ख) किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनीटाइजर एवं हैण्ड वाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

9- उपरोक्त किसी भी कार्यक्रम यथा जयन्ती मेला, प्रतिमा स्थापना एवं विर्सजन/जागरण/रामलीला/प्रदर्शनी/रैली/जुलूस/ आदि के लिए जनपद नोयडा एवं लखनऊ में पुलिस कमिश्नर तथा अन्य जनपदों में जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगी।


उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।


 (राजेन्द्र कुमार तिवारी)
 मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- स्टाप ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।


 आज्ञा से,
 (अवनीश कुमार अवस्थी)
 अपर मुख्य सचिव, गृह।